संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत

धारा-4 की उपधारा (1)(ख) के अनुसार मैनुअल

Scanned with OKEN Scanner

अनुक्रमणिका

1. अध्याय : एक	-	प्रस्तावना
	-	परिभाषाएं
2. अध्याय : दो	-	संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य
3. अध्याय :तीन	-	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य
4. अध्याय: चार	-	कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
5. अध्याय: पांच	-	नीति निर्धारण, जनता व जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था
6. अध्याय : छः	-	लोक प्राधिकारी के पास या उनके सनियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का सवर्ग के अनुसार विवरण
7. अध्याय: सात	-	बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण
8. अध्याय:आठ	-	लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियाँ
9. अध्याय: नौ	-	निर्णय लेने की प्रक्रिया
10. अध्याय: दस	-	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका
11.अध्याय: ग्यारह	-	अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति
12.अध्याय:बारह	-	संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि को आबंटित बजट
13.अध्याय:तेरह	-	अनुदान/ राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति
14.अध्याय: चौदह	-	रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण
15. अध्याय: पंद्रह	-	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/ नियम
16. अध्याय: सोलह	-	इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचनायें
17. अध्याय: सत्रह	-	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
18. अध्याय: अट्ठारह	-	अन्य, उपयोगी जानकारियाँ

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय 1

प्रस्तावना

संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना: राज्य शासन का आदेश/ अधिसूचना क्रमांक 422/640/2022/स्था./चार नवा रायपुर 28.03.2023 द्वारा " संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि" कार्यालय दिनांक 30-01-2023 से प्रारंभ करने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान किया गया |

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 15 जून, 2005 से प्रभावशील है| इस हस्तपुस्तिका का उद्देश्य " संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि" छत्तीसगढ़ के कार्य प्रणाली और उनके अधिकारियों/ कर्मचारियों के अधिकारों, संचालित योजनाओं से सम्बन्धित नियमों की जानकारी देना हैं |

परिभाषाएं-

1. 'शासन ' से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन
2. 'महालेखाकार' से तात्पर्य है, महालेखाकार छत्तीसगढ़
3. 'संचालनालय' से तात्पर्य है, संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि
4. 'संभागीय कार्यालय' से तात्पर्य है,संभागीय संयुक्त संचालक कोष,लेखा एवं पेंशन
5. 'सयुंक्त संचालक' से तात्पर्य है, सयुंक्त संचालक, संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय कोष,लेखा एवं पेंशन
6. 'कोषालय'/ 'उप कोषालय' से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित जिला कोषालय एवं उप कोषालय
7. 'कोषालय अधिकारी'/ 'उप कोषालय अधिकारी' से तात्पर्य है,जिला स्तरीय कोषालय/ उप कोषालय स्तर के प्रभारी
8. 'एस. ए. एस.' से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा
9. 'पेंशनर'से तात्पर्य है , छत्तीसगढ़ शासन के पेंशनर
10. 'OPS' से तात्पर्य है , Old Pension Scheme(पुरानी पेंशन योजना)
11. ' NPS' से तात्पर्य है, National Pension System (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली)
12. 'CGPF' से तात्पर्य है, Chhattisgarh Provident Fund (छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि)
13. वर्ष से तात्पर्य है, वित्तीय वर्ष

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय 2

(मैनुअल 1)

संगठन की विशिष्टियाँ , कृत्य एवं कर्तव्य

राज्य शासन द्वारा संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन से पृथक संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना, वर्ष 2023 में की गई | संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि कार्यालय हेतु निम्नानुसार पद सरंचना स्वीकृत है :-

क्र	पदनाम	श्रेणी	सांतवा वेतनमान	पदों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संचालक	अखिल भारतीय सेवा संवर्ग	अखिल भारतीय सेवा संवर्ग का वेतनमान	01
2	वित्त नियंत्रक	प्रथम	लेवल – 16	01
3	अपर संचालक	प्रथम	लेवल- 15	01
4	संयुक्त संचालक	प्रथम	लेवल- 14	02
5	उपसंचालक	प्रथम	लेवल- 13	01
6	सहायक संचालक	द्वितीय	लेवल -12	04
7	प्रोग्रामर	द्वितीय	लेवल -12	02
8	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1	तृतीय	लेवल- 10	01
9	अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी	तृतीय	लेवल- 9	05
10	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय	लेवल- 9	04
11	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	तृतीय	लेवल- 9	01
12	अधीक्षक	तृतीय	लेवल- 8	01
13	सहायक ग्रेड -1	तृतीय	लेवल- 7	04
14	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	तृतीय	लेवल- 7	01
15	सहायक ग्रेड -2	तृतीय	लेवल- 6	06
16	डाटा एन्ट्री आपरेटर	तृतीय	लेवल- 5	01
17	सहायक ग्रेड -3	तृतीय	लेवल- 4	12
18	स्टेनोटायपिस्ट	तृतीय	लेवल- 4	01
19	वाहन चालक	तृतीय	लेवल- 4	05
20	दफ्तरी	चतुर्थ	लेवल- 2	01
21	भृत्य	चतुर्थ	लेवल- 1	04
22	वाटर मैन	चतुर्थ	कलेक्टर दर	01
23	फर्राश	चतुर्थ	कलेक्टर दर	01
			योग	61

Scanned with OKEN Scanner

मुख्य कार्य एवं दायित्व

पेंशन तथा वेतन निर्धारण

1. संभागीय संयुक्त संचालक कोष,लेखा एवं पेंशन कार्यालय के माध्यम से शासकीय सेवकों का पेंशन एवं वेतन निर्धारण |
2. "आभार आपकी सेवाओं का " छत्तीसगढ़ ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम का संधारण |
3. पेंशन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा एवं समन्वय एवं निगरानी का कार्य |
4. मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में गठित "पेंशनर कल्याण मंडल" की बैठक आयोजित करना |
5. पेंशनरों को नियमित पेंशन भुगतान हेतु बैंको से सतत समन्वय |
6. सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन/परिवार पेंशन/पुनरीक्षित पेंशन संबधी शिकायतों का निवारण |

अंशदायी पेंशन योजना

(1.) दिनांक 01-11-2004 अथवा इसके पश्चात 31.03.2023 तक राज्य की स्थापना में नियुक्त शासकीय सेवको तथा अखिल भारतीय सेवा ,केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू की गई अंशदायी पेंशन योजना के लिए संचालनालय , पेंशन एवं भविष्य निधि नोडल कार्यालय है|

(2.) योजनांतर्गत कर्मचारी/ अधिकारी का मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत की राशि अनिवार्य रूप से कटौती कर तथा इसके समतुल्य शासन द्वारा नियोक्ता अंशदान जमा किया जा रहा है। 01 अप्रैल 2019 से अखिल भारतीय सेवा एवं अन्य केन्द्रीय शासकीय सेवकों हेतु शासन द्वारा नियोक्ता अंशदान 14 प्रतिशत दिया जा रहा है। राज्य शासन के शासकीय सेवको हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2022 से शासन द्वारा नियोक्ता अंशदान 14 प्रतिशत की कटौती कर प्रतिमाह ट्रस्टी बैंक को अंतरित किया जा रहा है।

(3.) राज्य शासन के शासकीय सेवको हेतु दिनांक 01.11.2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू कर नवीन पेंशन योजना/ पुरानी पेंशन योजना चयन करने का विकल्प दिया गया है तथा दिनांक 01.04.2022 से नियुक्त राज्य शासन के शासकीय सेवको के लिये पुरानी पेंशन योजना अनिवार्यतः लागू की गई है।

(4.) ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने OPS (पुरानी पेंशन योजना) के विल्कप का चयन किया है उनके मृत्यु के प्रकरणों में पेंशन जारी करने के पूर्व ट्रस्टी बैंक से प्राप्त NPS की राशि का समायोजन संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि कार्यालय द्वारा किया जा रहा है |

Scanned with OKEN Scanner

छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि (CGPF)

(1.) छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2022 द्वारा दिनांक 01.11.2004 नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (सिविल सेवा पुस्तिका नियम 1976) लागू किया गया है। पुरानी पेंशन योजना दिनांक 01.11.2004 अथवा इसके पश्चात नियुक्त राज्य शासन के शासकीय सेवको पर लागू होगी।

(2.)नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत मासिक अंशदान की कटौती दिनाकं 01.04.2022 से समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन (परिलब्धियों) का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती (अप्रैल 2022 से) की जा रही है। वित्त विभाग के नियंत्रण में छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते का आबंटन, लेखांकन एवं संधारण का कार्य संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि के द्वारा किया जा रहा है।

(3.)01 अप्रैल, 2022 से या इसके पश्चात नव नियुक्त शासकीय सेवकों का कार्मिक संपदा हेतु निर्धारित आवेदन के आधार पर डी.डी.ओ. द्वारा Employee ID आबंटित किया जाता है तथा उसी आधार पर आनलाईन जिला कोषालय अधिकारी द्वारा CGPF खाता आबंटित किया जा रहा है। Employee ID एवं CGPF खाता आबंटन पश्चात् वेतन आहरण एवं CGPF अंशदान की कटौती प्रारंभ कर दिया जाता है।

(4.) OPS के विकल्प का चयन करने वाले शासकीय सेवको के सेवानिवृत्ति/ मृत्यु पर CGPF (छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि) खाते में जमा राशि के अंतिम भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र जारी करने का कार्य किया जाना है |

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय 3
(मैनुअल 2)
अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

(1) संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि विभागाध्यक्ष होने के साथ साथ कार्यालय प्रमुख भी है अतः कार्यालय प्रमुख की हैसियत से प्रशासकीय एवं वित्तीय मामलों मे अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत है जो कि निम्नानुसार :-

अ) प्रशासनिक अधिकार:-

1. अधिकारी/ कर्मचारी की अवकाश स्वीकृति एवं वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति।
2. तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की नियुक्ति / पदोन्नति का निर्धारण।
3. कर्मचारियों के संबंध मे अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार।

ब) वित्तीय अधिकार :-

1. वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार कार्यालय के नैमित्तिक व्यय जैसे :- फर्नीचर एवं उपकरण ,वाहन,पुस्तक स्टेशनरी,पेट्रोल आदि के क्रय एवं भुगतान की स्वीकृति ।
2. मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों के मासिक वेतन का आहरण एवं संवितरण ।
3. कर्मचारियों के यात्रा देयक ,स्थानातरण यात्रा देयक एवं अग्रिमों की स्वीकृति एवं भुगतान ।
4. सामान्य भविष्य निधि के नियमों के अंतर्गत अग्रिम/ प्रत्याहरण राशियों की स्वीकृति एवं भुगतान ।
5. वाहन अग्रिम, अनाज अग्रिम की स्वीकृति एवं भुगतान ।

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय 4

(मैनुअल 3)

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम , विनियम , अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख

स.क्र.	विषय एवं कार्य	शामिल अधिकारी कर्मचारी	अपनाई जानी वाली प्रक्रिया	नियम/ दिशा निर्देश
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अधिकारी/ कर्मचारी के वेतन भत्तों ,वेतन वृद्धि से सम्बन्धित प्रकरण	1. संचालक 2. वित्त नियंत्रक 3. संयुक्त संचालक 4. सहायक संचालक 5. सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी 6. सहायक वर्ग -3, सहायक वर्ग -2, सहायक वर्ग -1,	प्रकरण आवक/ जावक पन्जियाँ,नस्तियों का संधारण एवं समय से प्रस्तुतीकरण	छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम, छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता, छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता एवं शासन द्वारा समय- समय पर जारी निर्देश |
2.	अवकाश प्रकरण	तदैव	तदैव	छत्तीसगढ़ अवकाश नियम 2010 एवं शासन द्वारा समय- समय पर जारी निर्देश |
3.	सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम/ पार्ट फाइनल राशि की स्वीकृति	तदैव	तदैव	सामान्य भविष्य निधि नियम एवं शासन द्वारा समय- समय पर जारी निर्देशों अनुसार

Scanned with OKEN Scanner

4.	विभागीय जांच	तदैव	तदैव	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपीलीय नियम 1966 एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अनुसार
5.	पेंशन प्रकरण	तदैव	तदैव	छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों अनुसार
6.	पेंशनर कल्याण मंडल की बैठक का आयोजन	तदैव	वित्त विभाग से अनुरोध	छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अधिसूचना दिनांक 02.12.2009 के द्वारा पेंशन कल्याण मंडल द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठन किया गया है।
7.	न्यायालयीन प्रकरण	तदैव	तदैव	प्रकरणों का प्रतिरक्षण विषयवस्तु के अनुसार सम्बन्धित नियम/ निर्देशों के अनुसार
8.	नियमों में संशोधन	तदैव	प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित अंतिम निर्णय	
9.	बजट प्रस्ताव	तदैव	बजट प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना	वित्त विभाग के निर्देशों अनुसार
10.	पुनर्विनियोजन	तदैव	प्रस्ताव वित्त विभाग	तदैव

Scanned with OKEN Scanner

			को प्रेषित किया जाना	
11.	नवीन मद के प्रस्ताव	तदैव	प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जाना	तदैव
12.	मुख्यालय के लिए विभिन्न कार्यालयीन व्यय की स्वीकृति	तदैव	वित्तीय अधिकार की पुस्तिका भाग-1 में वर्णित विभागाध्यक्ष और कार्यालय प्रमुख की अधिकार क्षेत्र की सीमा अंतर्गत। सीमा से अधिक होने पर शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाती है।	तदैव

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय 5
(मैनुअल -4)

नीति निर्धारण ,जनता एवं जनप्रतिनिधि के परामर्श के लिए बनायी गई व्यवस्था

कार्यो के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रतिमान (Norms set by it for discharge of its function)

"पेंशन कल्याण निधि से वित्तीय सहायता"

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों/ परिवार के सदस्यों (पेंशन नियम, 1976 के नियम 47 में यथापरिभाषित) को छत्तीसगढ़ पेंशन कल्याण निधि नियम,1997 अंतर्गत पेंशनर कल्याण निधि से निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है:-

(एक) लंबी तथा गंभीर बीमारी हेतु,

(दो) दुर्घटना के कारण या प्राकृतिक विपत्ति के कारण विकलांगता,

(तीन) चश्मे, दांत, श्रवण यंत्र आदि के लिये,

(चार) तकनीकी शिक्षा के लिए,

(पांच) स्कैनिंग, डायलिसिस, स्ट्रेस टेस्ट, ई.सी.जी. तथा अन्य विशिष्ट प्रकार के टेस्ट बशर्ते कि ऐसी सुविधा शासकीय चिकित्सालय में न हो तथा ऐसा टेस्ट निजी चिकित्सालयों अथवा प्रायवेट लैब से कराये जाने की सिफारिश शासकीय चिकित्सक द्वारा की गयी है।

परन्तु राज्य के बाहर ईलाज के लिए केवल दवाईयों का मूल्य तथा चिकित्सक की फीस सहायता की अधिकतम सीमा के अधीन अनुज्ञेय होगी, यदि राज्य के बाहर उपचार राज्य के किसी मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर किया गया हो,

परन्तु यह और कि राज्य के बाहर उपचार के लिए सहायता केवल उन बीमारियों तथा अस्पतालों के लिए दी जाएगी, जो परिशिष्ट-1 मे सूचीवद्ध है।

सहायता राशि के लिये आवेदनः-

सहायता राशि हेतु निर्धारित प्रारूप 'क' में आवेदन पत्र आवश्यक सहपत्रों सहित संचालक को प्रस्तुत किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यकारिणी समिति:-

पेंशनर कल्याण निधि से सहायता स्वीकृत करने के संपूर्ण अधिकार पेंशनर कल्याण बोर्ड की कार्यकारिणी समिति को होंगे,

परन्तु कार्यकारिणी समिति के अस्तित्व में न रहने की कालावधि के दौरान राज्य के बाहर के मामलों के लिए ये अधिकार क्रमशः सचिव, वित्त तथा राज्य के अंदर के मामलों के लिए यह अधिकार संचालक द्वारा प्रयोग किये जायेगें।

सहायता की राशि:-

1. लंबी तथा गंभीर बीमारी हेतु गुण दोष के आधार पर
2. दुर्घटना से क्षतिग्रस्त होने पर या अन्य दैविक विपत्ति की स्थिति में प्रत्येक मामले में गुण दोषों के आधार पर
3. चश्मे के लिए - 350/-
4. दांतों के सेट के लिए - 1000/-
5. श्रवण यंत्र के लिए - 700/-
6. तकनीकी शिक्षा के लिए - 1000/-
7. स्कैनिंग, डायलिसिस, स्ट्रेस टेस्ट, ई.सी.जी. तथा अन्य विशिष्ट प्रकार के टेस्ट हेतु - 1500/-

सहायता की अधिकतम राशि:-

1. राज्य के भीतर एक वर्ष में रूपये 10,000/- (दस हजार रूपये)
2. राज्य के बाहर ईलाज के लिए प्रत्येक मामले में रूपये 30,000/-(तीस हजार रूपये)

राज्य के बाहर उपचार के लिए सहायता केवल निम्नांकित बीमारियों के लिए तथा उन चिकित्सालयों में उपचार कराने पर ही दी जायेगी जो छत्तीसगढ़पेंशनर कल्याण निधि नियम, 1997 के नियम-5 अंतर्गत परिशिष्ट 1 (यथा संशोधित वित्त निर्देश 06/2004) में उल्लेखित हों:-

(एक) सभी प्रकार के कैंसर

(दो) ओपन हार्ट सर्जरी

Scanned with OKEN Scanner

(तीन) कार्डियक फेल्योर

(चार) गुर्दा प्रत्यारोपण

(पांच) जटिल (कामप्लिकेटेड) नेत्र शल्य क्रिया

(छः) जटिल (कामप्लिकेटेड) न्यूरो सर्जरी

(सात) जोड़ का पुनःस्थापन

निर्वचनः- जहां इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो वह शासन के वित्त विभाग को निर्दिष्ट की जायेगी तथा सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय 6

(मैनुअल -5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके सनियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का सवंर्ग के अनुसार विवरण विभाग में रखे जाने वाले विधान/ नियम/ अभिलेख

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि कार्यालय में उपयोग में लाये जाने वाले विधान,नियम,निर्देश,आदेश निम्नानुसार है :-

1. छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग -1
2. छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग -2
3. छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग -1
4. छत्तीसगढ़ वित्त संहिता भाग -2
5. छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम भाग -1
6. छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम भाग -2
7. छत्तीसगढ़ अवकाश नियम 2010
8. छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम
9. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पदग्रहण काल नियम 1982
10. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976
11. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम 1996
12. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम 1963
13. छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मचारी वर्ग - असाधारण परिवार निवृति-वेतन नियम, 1965
14. छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम
15. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि नियम 1974
16. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक समूह बीमा योजना 1985
17. छत्तीसगढ़ पेंशनर कल्याण निधि नियम 1997
18. छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी)पेंशन नियम,1979

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय 7

(मैनुअल -6)

बोर्ड ,परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

वर्तमान में संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि कार्यालय में पेंशनर कल्याण मंडल का गठन प्रक्रियाधीन है |

अध्याय 8

(मैनुअल – 7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम,पदनाम एवं विशिष्टियां

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि,छत्तीसगढ़ इन्द्रावती भवन ब्लॉक-1,तृतीय तल, नवा रायपुर अटल नगर, में सूचना के अधिकार अधिनियम - 2005 के तहत पदनामित जनसूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की सूची :-

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	पदनाम	कार्यालयीन पता	कार्यालय दूरभाष क्रमांक
1.	श्रीमती किरण जे. नागेश	संयुक्त संचालक	प्रथम अपीलीय अधिकारी	कक्ष क्रमांक 37 , ब्लॉक-1, तृतीय तल,इन्द्रावती भवन	0771-2990467
2.	श्री नागेन्द्र कुमार ठाकुर	सहायक संचालक	जनसूचना अधिकारी	कक्ष क्रमांक 39, ब्लॉक-1, तृतीय तल,इन्द्रावती भवन	0771-2990466

अध्याय 9

(मैनुअल-8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

छत्तीसगढ़शासन द्वारा उपयोग में लाये जा रहे नियमो के अंतर्गत इस कार्यालय में निर्णय लिया जाता है| प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि अधिकृत है |

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय 10

(मैनुअल-9)

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी वर्तमान में पदस्थ/ संलग्न कार्यरत हैं :-

स क्र	अधिकारी का नाम	पदनाम	एस टी डी	दूरभाष	मोबाइल नंबर
1	श्री महादेव कावरे	संचालक	0771	2445820	9425229296
2	डॉ. अखिलेश कुमार सिंह	वित्त नियंत्रक	0771	2990466	6264282851
3	श्रीमती किरण जे नागेश	संयुक्त संचालक	0771	2990467	9425285516
4	श्री गिरीश काले	संयुक्त संचालक	0771	2990468	8319695311
5	श्री नागेन्द्र कुमार ठाकुर	सहायक संचालक	0771	2990466	9981908611
6	श्री विक्रम ध्रुव	सहायक संचालक	0771	2990469	7042261338
7	सुश्री नीता रहंगडाले	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी			
8	श्री गंगेश्वर चंद्रा	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी			
9	सुश्री कविता	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी			

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय -11

(मैनुअल -10)

अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक एवं उसके निर्धारण की पद्धति

राज्य शासन द्वारा संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि कार्यालय हेतु निम्नानुसार वेतनमान स्वीकृत है :-

क्र	पदनाम	श्रेणी	सांतवा वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	संचालक	अखिल भारतीय सेवा संवर्ग	अखिल भारतीय सेवा संवर्ग का वेतनमान
2	वित्त नियंत्रक	प्रथम	लेवल – 16
3	अपर संचालक	प्रथम	लेवल- 15
4	संयुक्त संचालक	प्रथम	लेवल- 14
5	उपसंचालक	प्रथम	लेवल- 13
6	सहायक संचालक	द्वितीय	लेवल -12
7	प्रोग्रामर	द्वितीय	लेवल -12
8	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1	तृतीय	लेवल- 10
9	अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी	तृतीय	लेवल- 9
10	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय	लेवल- 9
11	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	तृतीय	लेवल- 9
12	अधीक्षक	तृतीय	लेवल- 8
13	सहायक ग्रेड -1	तृतीय	लेवल- 7
14	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	तृतीय	लेवल- 7
15	सहायक ग्रेड -2	तृतीय	लेवल- 6
16	डाटा एन्ट्री आपरेटर	तृतीय	लेवल- 5
17	सहायक ग्रेड -3	तृतीय	लेवल- 4
18	स्टेनोटायपिस्ट	तृतीय	लेवल- 4
19	वाहन चालक	तृतीय	लेवल- 4
20	दफ्तरी	चतुर्थ	लेवल- 2
21	भृत्य	चतुर्थ	लेवल- 1
22	वाटर मैन	चतुर्थ	कलेक्टर दर
23	फर्राश	चतुर्थ	कलेक्टर दर

उपरोक्त वेतनमान के अनुसार वेतन के साथ महंगाई भत्ता ,नगर क्षतिपूर्ति भत्ता ,गृह भाडा भत्ता शासन के नियमानुसार भुगतान किया जाता है |

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय -12

(मैनुअल -11)

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि को आबंटित बजट

वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट एवं पुनरीक्षित अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2024 -25 का बजट अनुमान निम्नानुसार है :-

राजस्व अनुभाग

1.) मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज संदाय [60]-अन्य देनदारियों पर ब्याज {101}-जमा राशियों पर ब्याज

(आंकड़े हजार रूपये में)

क्र.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	बजट अनुमान (2023-2024)	पुनरीक्षित अनुमान (2023-2024)	बजट अनुमान (2024 -2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	(6802)	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज	1,00	3,28,00	1,00

2.) मुख्य शीर्ष 2054- राजकोष एवं लेखा प्रशासन {095}-लेखा और राजकोष निदेशालय

(आंकड़े हजार रूपये में)

क्र.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	बजट अनुमान (2023-2024)	पुनरीक्षित अनुमान (2023-2024)	बजट अनुमान (2024 -2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	(6633)	संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना	1,50,51	3,85,65,	6,77,68

Scanned with OKEN Scanner

3.) मुख्य शीर्ष 2071 -पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ [01]-सिविल {117}-परिभाषित अंशदान ,पेंशन प्रयोजन हेतु शासकीय

(आंकड़े हजार रूपये में)

क्र.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	बजट अनुमान (2023-2024)	पुनरीक्षित अनुमान (2023-2024)	बजट अनुमान (2024-2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	(6801)	राज्य शासन का अंशदान	30,00,00	52,27,00	42,00,00

4.) मुख्य शीर्ष 2235-सामजिक सुरक्षा एवं कल्याण [60]-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम {200}-अन्य योजनाए

(आंकड़े हजार रूपये में)

क्र.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	बजट अनुमान (2023-2024)	पुनरीक्षित अनुमान (2023-2024)	बजट अनुमान (2024 -2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	(7000)	पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति	20,00	20,00	20,00

पूंजी अनुभाग

1.) मुख्य शीर्ष 4070 –अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय {800}-अन्य व्यय

(आंकड़े हजार रूपये में)

क्र.	योजना शीर्ष	योजना का नाम	बजट अनुमान (2023-2024)	पुनरीक्षित अनुमान (2023-2024)	बजट अनुमान (2024 -2025)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	(6633)	संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना	6,50	6,50	13,00

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय -13

(मैनुअल -12)

अनुदान/ राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि के क्रियाकलापों में इस प्रकार की कोई योजना शामिल नहीं है |

अध्याय -14

(मैनुअल -13)

रियायतों/ अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारो के प्राप्तकर्ता के सम्बन्ध में विवरण

संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि के सम्बन्ध में जानकारी निरंक है |

अध्याय -15

(मैनुअल -14)

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/ नियम

1. छत्तीसगढ़ पेंशन नियम 1976
2. छत्तीसगढ़ सामन्य भविष्य निधि नियम
3. छत्तीसगढ़ आकस्मिकता,कार्यभारित पेंशन नियम 1979

अध्याय -16

(मैनुअल -15)

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनाये

वर्तमान में संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की वेबसाईट cgpension.nic.in और cps.cg.nic.in है |कार्यालय का ईमेल पता dir-pensioncgpf@cg.gov.in है |

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय -17

(मैनुअल -16)

नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु सुविधाओं का विवरण

नागरिकों के लिए विभाग में सूचनाओं के लिए पृथक लायब्रेरी या वाचनालय की व्यवस्था नहीं है। जनसूचना अधिकारी के पास उनके कार्यक्षेत्र के अभिलेख की जानकारी उनके कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। जो किसी नागरिक द्वारा उपलब्ध कराए जाने की मांग की जाने पर कार्यालयीन समय में अवलोकन की सुविधा दी जायेगी और उसकी प्रति चाही जाने पर अथवा अन्य कोई जानकारी जो उन्हें जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध कराई जा सकती है, कि मांग करने पर निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जायगी।छत्तीसगढ़ शासन की वेब साईट rtionline.cg.gov.in के माध्यम से भी नागरिक सूचना प्राप्त कर सकते है । कार्यालय संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि इस वेबसाईट में पंजीकृत है ।

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय -18

(मैनुअल -17)

अन्य उपयोगी जानकारियां

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न(1) सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु पश्चात पेंशन / परिवार पेंशन क्या अपने आप प्राप्त हो सकता है ?
उत्तरः- पेंशन /परिवार पेंशन एक दावा है जिसके लिए निर्धारित प्रपत्र यथारीति भरा जाना आवश्यक है।

प्रश्न (2) शासकीय सेवा से सेवा निवृत्त होने पर पेंशन प्राप्त करने हेतु किस प्रपत्र में दावा किया जाना है?
उत्तरः- शासकीय सेवा से सेवा निवृत्त होने पर पेंशन हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 में विहित प्रपत्र 6 कार्यालय प्रमुख के माध्यम से भरा जाना है।

प्रश्नः-(3) शासकीय सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर परिवार पेंशन हेतु किस प्रपत्र पर दावा किया जाना है?
उत्तरः- शासकीय सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर परिवार पेंशन हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 मे विहित प्रपत्र 13 एवं प्रपत्र 17 में शासकीय सेवक के परिवार द्वारा कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना है।

प्रश्न(4) निर्धारित प्रपत्र में दावा प्रस्तुत करते समय कौन -कौन से अभिलेख / विवरण प्रस्तुत किए जाने होंगे?
उत्तर :- इस हेतु बाएं हाथ के अंगुलियों एवं अंगूठे का निशान जो अभिप्रमाणित हो, अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर ,अभिप्रमाणित ऊंचाई एवं पहचान चिन्ह ,पेंशनर/ परिवार पेंशनर/ उपादान ग्राही का पूरा पता , परिवार के सदस्यों का विवरण ,वसूली हेतु सहमति पत्र, कोषालय का नाम, पत्र व्यवहार का पता, अभिप्रमाणित संयुक्त/ एकल छायाचित्र आदि का विवरण दे/ संलग्न करें।

प्रश्न(5) यदि परिवार पेंशनर अवयस्क है तो उसे परिवार पेंशन का भुगतान करने हेतु क्या करना होगा?
उत्तर :- यदि परिवार पेंशनर अवयस्क है तो उसे सीधे भुगतान नही हो सकता अतः उसके वयस्क होने तक परिवार पेंशन का भुगतान उसके वैध संरक्षक के माध्यम से होगा। जिसके लिए सक्षम न्यायालय द्वारा जारी वैध संरक्षक प्रमाण पत्र पेंशन प्रकरण के साथ संलग्न करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

प्रश्न(6) क्या परिवार विवरण के साथ जन्मतिथि का उल्लेख करना अनिवार्य है?

उत्तर :- दिए गए परिवार विवरण में जन्मतिथि का उल्लेख करने से समय आने पर शासकीय योजनांतर्गत 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मूल पेंशन / परिवार पेंशन में 20 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ मिल सकेगा और आगे भी मूल पेंशन में प्रत्येक अगले 5-5 वर्ष में 20 प्रतिशत की वृद्धि होते हुए 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 100 प्रतिशत बढ़कर मूल पेंशन दुगना हो जावेगा। परिवार विवरण में जन्मतिथि अंकित होने से यदि बच्चों को परिवार पेंशन स्वीकृत करने की स्थिति उत्पन्न होती है तो 25 वर्ष आयु की गणना में असुविधा नहीं होगी।

प्रश्न(7) सेवा निवृत्त होने पर कौन-कौन से परिलाभ प्राप्त हो सकते है?

उत्तरः- पेंशन,मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपादान , परिवार कल्याण निधि में जमा ,समूह बीमा योजना की राशि, सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान, अर्जित अवकाश का नकदीकरण की राशि सेवांत परिलाभ के अंतर्गत नियमानुसार प्राप्त हो सकते है।

प्रश्न(8) शासकीय सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर कौन-कौन से परिलाभ प्राप्त हो सकते है?

उत्तर :- परिवार पेंशन ,मुत्यु सहसेवा निवृत्ति उपादान,परिवार कल्याण निधि एवं समूह बीमा योजना की बीमा राशि तथा बचत निधि में जमा राशि ब्याज सहित, सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान , अर्जित अवकाश का नगदीकरण की राशि सेवांत परिलाभ के अंतर्गत नियमानुसार प्राप्त हो सकते है।

प्रश्न(9) क्या शासकीय सेवक की सेवा निवृत्ति की आयु निर्धारित है?

उत्तरः- छत्तीसगढ़ मूलभूत नियमों के नियम 56 में सेवा निवृत्ति की आयु निर्धारित है जो कुछ संवर्गो को छोड़कर वर्तमान में 62 वर्ष जिस माह में पूर्ण कर लेता है उस माह का अंतिम दिवस है। परन्तु यदि किसी शासकीय सेवक की जन्मतिथि माह की प्रथम तारीख है तो वह पूर्ववर्ती माह के अंतिम तिथि को सेवा निवृत्त हो जावेगा।

प्रश्न(10) यदि सेवा निवृत्ति का आदेश प्राप्त नहीं होता है तो सेवा निवृत्ति की आयु पूर्ण होने के पश्चात भी क्या सेवा में रूका जा सकता है?

उत्तरः- प्रत्येक शासकीय सेवक को उसकी जन्मतिथि भली-भांति ज्ञात है तथा सेवा में प्रविष्ट होने के समय ही उसे सेवा निवृत्ति तिथि ज्ञात हो जाती है तथा मूलभूत नियम 56 के अनुसार वह सेवा निवृत्ति आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति हो जावेगा , जो आज्ञापक है। अतएव निर्धारित आयु के पश्चात सेवारत होने का प्रश्न ही नहीं है। अन्यथा पेंशन प्रकरण निराकरण में कठिनाई होगी।

Scanned with OKEN Scanner

5.)प्रथम

प्रश्न(11) सेवा निवृत्ति पर पेंशन प्राप्त करने हेतु क्या न्यूनतम अर्हतादायी सेवा का बंधन है?
उत्तरः- सेवा निवृत्ति / त्यागपत्र पर पेंशन प्राप्त करने हेतु नियमानुसार न्यूनतम अर्हतादायी सेवा 10 वर्ष होनी चाहिए अन्यथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 43 के अनुसार सेवा उपादान की पात्रता होगी।

प्रश्नः-(12) मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपादान प्राप्त करने हेतु क्या न्यूनतम अर्हतादायी सेवा का बंधन है?
उत्तर :- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 44 के अंतर्गत शासकीय सेवक की 5 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण होनी चाहिए।

प्रश्न(13) सेवा निवृत्ति के कितने समय पूर्व पेंशन प्रपत्र पूर्ण किया जा सकता है?
उत्तरः- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 59 के अनुसार सेवा निवृत्ति के 12 माह पूर्व पेंशन प्रपत्रों की पूर्ति की जा सकती है। शासकीय सेवक को स्वयं से संबंधित पेंशन प्रपत्र जैसे फार्म नम्बर 1,3,25,26, आदि अत्यंत सावधानी से भरना चाहिए।

प्रश्न(14) क्या शासकीय सेवक निर्धारित सेवा निवृत्ति आयु से पूर्व स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ले सकता है, इस हेतु क्या प्रक्रिया है?
उत्तरः- शासकीय सेवक 17 वर्ष की शासकीय सेवा पश्चात स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेना चाहता है तो 3 माह पूर्व निर्धारित प्रपत्र 28 में भरकर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।

प्रश्न(15) पेंशन/ परिवार पेंशन यथा समय निराकृत होने में कठिनाई न हो इस हेतु शासकीय सेवक को सेवा काल में क्या सावधानी रखनी चाहिए ?
उत्तर :- शासकीय सेवक को यह सावधानी रखना चाहिये कि वह :-
1.)सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर सही नाम, जन्मतिथि, पदनाम, शैक्षणिक योग्यता अंकित करवाए।
2.)प्रत्येक शासकीय सेवक को अपने सेवा अभिलेख देखने का अधिकार है जिसका सजगता से प्रयोग कर नियमित अंतराल में सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ के निर्धारित कालम में हस्ताक्षर करते हुए उक्त की सत्यता सुनिष्चित करें।
3.) स्वयं के परिवार का विवरण पत्रक -3 में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करे एवं समय-समय पर इसमें हुए किसी परिवर्तन की सूचना कार्यालय को देवें।
4.)अनुपस्थिति अवधि / आवेदित अवकाश एवं निलंबन काल यदि हो , का निराकरण सेवा निवृत्ति के पूर्व अवश्य करावें।

Scanned with OKEN Scanner

5.)प्रथम बार अंकित जन्मतिथि में काट-छांट या उपरिलेखन की स्थिति में कार्यालय प्रमुख के ध्यान में लावें एवं मान्यता प्राप्त करने के लिए पुरानी पदक्रम सूची ,शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि के साथ प्रस्तुत करे।

6.)समय - समय पर हुए वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन निर्धारण की जांच हेतु कार्यालय प्रमुख के ध्यान में लावें एवं जांच/ अनुमोदन के कारण किसी प्रकार के अधिक भुगतान की वसूली पेंशन नियम 1976 के नियम 65 के तहत कार्यालय प्रमुख के ध्यान में लाकर करवाए।

प्रश्न(16) अर्हतादायी सेवा क्या है?गणना कैसे की जाती है?

उत्तरः- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए किसी पद पर पहली बार स्थायी,स्थानापन्न अथवा अस्थायी रूप से नियुक्त होने पर कार्यभार ग्रहण दिनांक से अर्हतादायी सेवा प्रारंभ होती है। अर्हतादायी सेवा अर्धवर्ष या छःमाही के आधार पर संगणित होती है। अर्धवर्ष के तीन माह या उससे ऊपर के अंशकाल अवधि को पूर्ण अर्धवर्ष या पूर्ण छःमाही माना जाता है।

प्रश्न(17) अर्हतादायी सेवा का पेंशन की गणना पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर :- यदि शासकीय सेवक 33 वर्ष (66 अर्धवर्ष या छःमाही) की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर सेवा निवृत्ति होता है तो उसे पूरी पेंशन प्राप्त करने की पात्रता होती है। वर्तमान में अंतिम माह के मूलवेतन का 50 प्रतिशत पूर्ण पेंशन है। यदि अर्हतादायी सेवा 33 वर्ष से कम परन्तु 10 वर्ष से अधिक है तो पेंशन अर्हकारी सेवा के अनुपात में निर्धारित होगी,जिसकी गणना का सूत्र हैः-

अंतिम माह का मूल वेतन × अर्हकारी सेवा (छःमाही में)/2*66

प्रश्न(18) क्या पेंशन / परिवार पेंशन की कोई न्यूनतम राशि निर्धारित है?

उत्तर :- दिनांक 01.01.2016 से पेंशन / परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि रूपये 7750/-प्रतिमाह निर्धारित है। इससे पूर्व न्यूनतम पेंशन रूपये 3025/- प्रतिमाह निर्धारित थी।

प्रश्न(19) अर्हतादायी सेवा का मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपादान पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी गणना की रीति क्या है?

उत्तर :- कम से कम 5 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण होने पर ही उपादान देय है। शासकीय सेवक द्वारा संपादित अर्हतादायी सेवा के प्रत्येक पूर्ण अर्धवर्ष (छःमाही) अधिकतम 66 छः माही के लिए अंतिम माह के उपलब्धि (मूलवेतन + मंहगाई भत्ता) के एक चौथाई (1/4) की दर से देय है। गणना का सूत्रः -

अंतिम माह की उपलब्धि × अर्हकारी सेवा(छःमाही में)/4

Scanned with OKEN Scanner

प्रश्न(20) क्या मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपादान की कोई न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा निर्धारित है?

उत्तर :- वर्तमान 33 वर्ष (66 छः माही) या उससे **अधिक** की अर्हकारी सेवा पर साढे सोलह माह की उपलब्धि (मूलवेतन + महंगाई भत्ता) या अधिकतम 20 लाख देय होता है।

यदि शासकीय सेवक की 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने के पश्चात मृत्यु हो जाती है तो कम से कम 12 माह की उपलब्धियों के बराबर देय होगी।

प्रश्न(21) शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर मुत्यु सह सेवा निवृत्ति उपादान किन्हें देय है?

उत्तर :- शासकीय सेवक की मृत्यु की स्थिति में शासकीय सेवक के परिवार के वैध नामांकित व्यक्ति/ व्यक्तियों को देय होगा। वैद्य नामांकन न रहने की स्थिति में परिवार के सदस्यों को समान अंश में देय होगा।

प्रश्न(22) क्या शासकीय सेवक स्वीकृत मूल पेंशन के किसी भाग को समर्पित कर उस भाग का पूंजीगत मूल्य प्राप्त कर सकता है?

उत्तर :- कोई शासकीय सेवक / पेंशनर प्राधिकृत होने वाली / हो चुकी पेंशन का अधिकतम एक तिहाई तक सारांशीकरण कराकर उसका पूंजीगत मूल्य प्राप्त कर सकता है।

प्रश्न(23) क्या पेंशन सारांशीकरण कराने के लिए आयु सीमा निर्धारित है?

उत्तरः- कोई आवेदक सेवा निवृत्ति तारीख के आगामी तारीख के पश्चात किन्तु 70 वर्ष की आयु के पहले या सेवा निवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष के अंदर जो भी पहले हो पेंशन के एक तिहाई भाग का सारांशीकरण करा सकता है।

प्रश्न (24) क्या पेंशन के सारांशिकृत भाग के प्रत्यावर्तन हेतु आवेदन देना होगा अथवा स्वयंमेव प्रत्यावर्तन हो जायेगा ?

उत्तर :- पेंशन के सारांशिकृत भाग के प्रत्यावर्तन हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन का कम्यूटेशन) नियम 1996 के नियम 10(2) के अनुसार प्रारूप ग में संबंधित पेंशन वितरण अधिकारी (कोषालय अधिकारी/ बैंक) को आवेदन किया जावेगा।

प्रश्न(25) क्या पेंशन के सारांशीकरण भाग का प्रत्यावर्तन का प्रावधान है?

उत्तर :- सारांशीकरण की तारीख से 15 वर्ष पश्चात आगामी मास के प्रथम दिन को मूल पेंशन का सारांशिकृत किया गया भाग प्रत्यावर्तित हो जावेगा अर्थात पुनः मिलने लगेगा।

प्रश्न(26) क्या शासकीय सेवक की मृत्यु पश्चात परिवार पेंशन देय होगा ?

उत्तर :- शासकीय सेवक के चिकित्सा प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस) के साथ शासकीय सेवा में कार्य ग्रहण करने के उपरांत मृत्यु की स्थिति में परिवार पेंशन देय होगी।

प्रश्न(27) देय परिवार पेंशन की दर क्या होगी ?

उत्तर :- यदि मृत शासकीय सेवक द्वारा 07 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली गई है तो परिवार पेंशन की उच्च दर अन्यथा सामान्य दर देय होगी।

Scanned with OKEN Scanner

प्रश्न(28) परिवार पेंशन की उच्च दर एवं सामान्य दर क्या है?
उत्तर:- परिवार पेंशन की उच्च दर से आशय सामान्य परिवार पेंशन का दुगना अथवा अंतिम वेतन का आधा जो भी कम हो है। उच्च दर मृत्यु तिथि के अगले दिनांक से 7 वर्ष तक अथवा शासकीय सेवक की 67 वर्ष की आयू पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) देय होगी तत्पश्चात अंतिम वेतन के 30 प्रतिशत की दर से सामान्य परिवार पेंशन देय होगी।

प्रश्न(29) परिवार पेंशन किन्हें देय होगी ?
उत्तर:- परिवार पेंशन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1976 के नियम 47 के अनुसार देय होगी| परिवार पेंशन विधवा या विधुर को मृत्यु पर्यन्त या पुनर्विवाह तक, इनमें से जो पहले हो देय होगी। विधवा / विधुर के न रहने पर 25 वर्ष की आयु तक पुत्र को तथा अविवाहित या विच्छिन्न - विवाह पुत्री को भी 25 वर्ष की आयु तक देय होगी। इसमें ऐसा पुत्र या पुत्री भी सम्मिलित है जिसे सेवानिवृत्ति के पूर्व वैध रूप से दत्तक लिया गया हो |उक्त नियम के अनुसार यदि पुत्र 25 वर्ष की आयु के पूर्व ही आजीविका अर्जित करना प्रारम्भ कर दे तो उस पुत्र को परिवार पेंशन बंद कर दी जायेगी | यदि पुत्री 25 वर्ष की आयु के पूर्व ही विवाह अथवा पुनर्विवाह जो भी लागू हो कर ले अथवा आजीविका अर्जित करना प्रारंभ कर दे तो उस पुत्री की परिवार पेंशन बंद कर दी जायेगी |

प्रश्न(30) क्या परिवार पेंशन माता-पिता को भी देय है?
उत्तर :- यदि मृत शासकीय सेवक के विधवा अथवा संतान न हो तो आश्रित माता-पिता को आय / आश्रितता के मापदण्ड के अधीन परिवार पेंशन देय होगा।

प्रश्न(31) आय एवं आश्रितता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कौन सक्षम है ?
उत्तर :- आय एवं आश्रितता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी सक्षम प्राधिकारी है।

प्रश्न(32) क्या दिव्यांग पुत्र/ पुत्री का परिवार पेंशन निर्धारित आयु सीमा 25 वर्ष की आयु पश्चात देय नहीं होगा ?
उत्तर :- प्रथमतः क्रम से सभी बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक पात्रतानुसार परिवार पेंशन देय होगी तत्पश्चात दिव्यांग बच्चा जो जीविकोपार्जन हेतु अक्षम है तो वह सम्बन्धित पेंशन नियम की शर्तो को पूरी करने पर आजीवन परिवार पेंशन प्राप्त कर सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रश्न(33) क्या पेंशन / परिवार पेंशन पर महंगाई राहत देय होगा?

उत्तर :- जी हॉ। समय - समय पर शासन द्वारा घोषित दर से महंगाई राहत देय होगी।

प्रश्न(34) क्या परिवार पेंशनर की अनुकंपा नियुक्ति हो जाने पर भी महंगाई राहत देय होगा ?

उत्तर :- नहीं , अनुकंपा नियुक्त परिवार पेंशनर को परिवार पेंशन पर महंगाई राहत देय नही होगी | हाल ही में वित्त विभाग द्वारा स्पष्ट किये अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति से सेवानिवृत्ति पश्चात शासकीय सेवक को देय पेंशन एवं उसे पूर्व से मिल रही परिवार पेंशन दोनों के समेकित राशि पर मंहगाई राहत देय होगी | (वित्त विभाग के संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि को संबोधित पत्र क्रमांक 57 दिनांक 06.02.2024)

प्रश्न(35) यदि पेंशनर/ परिवार पेंशनर छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर पेंशन प्राप्त करना चाहता है तो क्या प्रक्रिया होगी?

उत्तर :- छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर पेंशन प्राप्त करने हेतु पेंशन प्रकरण के साथ प्रत्याशित पेंशन , प्रत्याशित मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपादान के भुगतान का विवरण दिनांक सहित तथा भविष्य के लिए भुगतान बंद करने का प्रमाण पत्र कार्यालय प्रमुख द्वारा संलग्न किया जावेगा।

प्रश्न(36) क्या पेंशन / परिवार पेंशन के प्रथम भुगतान प्राप्त करने के लिए कोषालय में उपस्थित होना अनिवार्य है?

उत्तर :- वर्तमान नियमानुसार ऑफलाइन जारी होने वाले पीपीओ में उपस्थित होना अनिवार्य है। अब चूँकि वित्त निर्देश 28/2018 दिनांक 23.05.2018 द्वारा "आभार" ऑनलाइन पेंशन सिस्टम लागू कर ई-पीपीओ जारी किया जाता है |

अत: ई-पीपीओ की प्रक्रिया में शासकीय सेवक/ परिवार पेंशनर के बैंक खातो का विवरण उपलब्ध होने तथा कार्यालय प्रमुख से प्रत्याशित पेंशन/ उपादान भुगतान एवं अन्य जानकारी प्राप्त होने पर सीधे बैंक खातो में पेंशन/ उपादान की राशि स्थानांतरित की जाती है। पेंशनर को अब उपस्थित नही होना पड़ता |

प्रश्न(37) क्या इस प्रक्रिया की जानकारी संबंधित पेंशनर को भी प्राप्त होगी ?

उत्तर :- प्रश्न 36 के उत्तर अनुसार ई-पीपीओ की नवीन व्यवस्था में प्रत्येक चरण यथा कार्यालय प्रमुख द्वारा ऑन-लाईन पेंशन प्रकरण तैयार कर भेजना , भौतिक रूप से सेवा पुस्तिका सहित पेंशन प्रकरण प्राप्त होना , पेंशन प्रकरण पारित अथवा आपत्ति होना, पेंशन भुगतान आदेश जारी होना, कोषालय द्वारा बैंक खाता में पेंशन/ उपादान की राशि जमा होना, पेंशन के आगामी भुगतान हेतु संबंधित बैंक को पेंशन भुगतान आदेश स्थानांतरित करने की जानकारी पेंशनर के दिए गए मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होती है।

2

Scanned with OKEN Scanner

प्रश्न(38) यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो परिवार पेंशन प्रारंभ करने की प्रक्रिया क्या होगी ?
उत्तर :- पेंशनर की मृत्यु होने पर पेंशन, भुगतान में उल्लेखित परिवार पेंशनर द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ प्रपत्र 42 अ में आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभ किया जा सकेगा।

प्रश्न(39) पेंशन भुगतान प्राप्त करने लिए किन बैंक शाखाओं का उपयोग किया जा सकता है?
उत्तर :- राज्य पेंशन के भुगतान की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की जिनकी शाखाए छत्तीसगढ़ में स्थित है, सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है:-

1. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 3.बैंक ऑफ इंडिया 4. पंजाब नेशनल बैंक
5. इंडियन बैंक 6. बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8. यूको बैंक 9. बैंक ऑफ बड़ोदा
10. ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स।

प्रश्न(40) सेवा निवृत्ति के बाद यदि कोई पेंशनर विवाह करता है तो क्या उसके पति/ पत्नि तथा उनसे पैदा बच्चों को परिवार पेंशन की पात्रता होगी ?
उत्तर :- दिनांक 21 जुलाई 1995 के पूर्व इसका प्रावधान नही था किन्तु इसके बाद राज्य शासन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पेंशनर सेवा निवृत्ति के बाद विवाह/ पुनर्विवाह करता/ करती है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रार / जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ उस कार्यालय प्रमुख को देगा जहाँ से वह सेवा निवृत्त हुआ था। कार्यालय प्रमुख समुचित सत्यापन के पश्चात आवेदन पत्र संबंधित संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 47(7) (बी) को ध्यान में रखते हुए भेजेगा जिसके आधार पर नियमानुसार संशोधन जारी किया जाएगा।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

वित्त नियंत्रक
पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
डी.डी.ओ. कोड-6604012

Scanned with OKEN Scanner